

विशेष योग्यजन छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति आवेदन पत्र
(वर्ष 20 -20)

नोट:- राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से विभागीय अधिकारी को भेजे जायेगें।

भाग “क”
(छात्र/छात्रा द्वारा भरा जाये)

सेवामें,
संस्था प्रधान

पासपोर्ट साइज़
का नवीनतम
फोटो

1. प्रार्थी का पूरा नाम श्री/श्रीमती/कुमारी

2. पिता/पति का नाम श्री जाति
3. प्रार्थी के स्थाई निवास स्थान का पूरा पता:-
गांव/शहर वार्ड संख्या
ग्राम/वार्ड पंचायत समिति/तहसील
जिला राजस्थान
4. विकलांगता श्रेणी (संबंधित को √ करें) :-
(i) अस्थि विकलांग (ii) कुष्ठ रोग मुक्त
(iii) दृष्टि बाधित (iv) अल्प दृष्टि
(v) श्रवण बाधित (vi) मानसिक विमंदित
(vii) मानसिक रुग्णता
5. पाठ्यक्रम एवं कक्षा का विवरण (जिसके लिए छात्रवृत्ति चाही गई है) :-
(k) शैक्षणिक संस्था का नाम
(ख) पाठ्यक्रम कक्षा वर्ष
(ग) कक्षा में प्रवेश की तिथि
6. पिता/माता/संरक्षक/पति अथवा स्वयं की वार्षिक आय रुपये ।
7. रकॉलर/डेस्कॉलर की दशा में छात्रावास का विवरण :-
(k) छात्रावास का विवरण :-
(i) नाम छात्रावास
(ii) लोकेशन छात्रावास
(iii) छात्रावास में प्रवेश लेने की तिथि
8. छात्र/छात्रा के स्वरोजगार में नियोजन होने का विवरण :-
(क) वर्तमान व्यवसाय
(ख) नियोजक का नाम
(ग) वार्षिक कुल आय रुपये ।

9. छात्र/छात्रा का बैंक खाते का विवरण (केवल कोर बैंकिंग) :-

(क) बैंक का नाम
(ख) खाता संख्या

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त तथ्य सही है। मेरे द्वारा गलत तथ्यों से छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो इसकी समरत जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी तथा इसे मैं वापस जमा करा दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर प्रार्थी

संलग्न :-

1. निःशक्तता का प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
2. आय के संबंध में विशेष योग्यजन के पिता/माता/संरक्षक/पति की आय के संबंध में स्वयं की घोषणा के आधार पर आय प्रमाण पत्र।
3. गत परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की प्रमाणित प्रति।
4. संस्था में प्रवेश के समय जमा कराई मूल फीस रसीद।
5. मूल निवास प्रमाण-पत्र।
6. बैंक खाते (पास बुक) की छायाप्रति।

भाग “ख”

(शिक्षा संस्था के प्रभारी द्वारा भरा जावें)

1. पाठ्यक्रम एवं कक्षा का विवरण (जिसके लिए छात्रवृत्ति चाही गई है) :-

- (क) शैक्षणिक संस्था का नाम
(ख) पाठ्यक्रम कक्षा वर्ष
(ग) कक्षा में प्रवेश की तिथि
2. संस्था में प्रवेश दिनांक
3. संस्था में जमा करवाई गई फीस (जमा की गई रसीद के अनुसार)
रिफ़र्डेबल रुपये
नॉनरिफ़र्डेबल रुपये

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा संस्था में दिनांक
से अध्ययनरत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

नोट :— अधीनस्थ द्वारा किये गये हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।